

सरकार दिनांक 31/10/2023 को पेश हो

S.D.O.

31/10/2023

पत्रावली भेरा हुई। उभय पक्षकारण उपस्थित। परोकार सरकार के जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब परोकार सरकार

दिनांक 08/11/2023 को पेश हो

S.D.O.

08/11/2023

पत्रावली पेश हुई... अभिप्रायक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित कराने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/11/23 को पेश की जावे।

S.D.O.

23/11/2023

पत्रावली पेश हुई... अभिप्रायक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित कराने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 05/12/23 को पेश की जावे।

S.D.O.

05/12/2023

पत्रावली पेश हुई... अभिप्रायक संघ के चुनौती देने के कारण अभिप्रायक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित कराने से अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/12/23 को पेश की जावे।

S.D.O.

13/12/2023

पत्रावली पेश हुई! उभय पक्षकारण उपस्थित परोकार सरकार तस्वीरदार बख्तुगार ने न्यायालय के उपस्थित हो पत्रावली में जवाब पेश करने से इनकार कर NO. objection किया वकील प्राचीने आज ही बख्तु का निवेदन किया। उभय पक्षकार हमरा बख्तु की गई। उभय पक्ष की बख्तु को [redacted] गया। उभय [redacted] पक्ष की बख्तु पर मनन किया। प्रारूप में ऑफिस [redacted] व पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अपलोड करने गलतवा से मनन किया। वकील प्राचीने द्वारा बख्तु के हौद दी गई वकील से बख्तु सन्तुष्ट हो प्राचीने का प्रारूप पत्र द्वारा - 128 स्वीकार थोड़ा प्रया जाता है। अतः प्राचीने का प्रारूप पत्र द्वारा - 128 का स्वीकार प्रार्थना पत्रों से स्वीकार किया जाकर प्रारूप पत्र का निर्णय प्रथम से क्रियागत जाकर न्यायालय की स्थलास में समाप्त गया। पत्रावली फासल

13/12/23

Form No. III

App-Z
crim-I.

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

सिमरु

बनाम भूमिधारी नटसल्लिक सा.

फर्द नुक्रमा प्रा. पत्र

नं० 101

सन् 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>अमर हुकुर फर्द रजिस्टर से काम की जाफर शामिल गए है।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	